

शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-5120/सत्तर-3-2020-08(51)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।
2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
3. कुलसचिव
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
4. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क
अधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक,
उच्च शिक्षा विभाग।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 15 अक्टूबर, 2020

विषय:- महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिये सम्पूर्ण प्रदेश में "मिशन शक्ति" संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

अवगत कराना है कि आगामी नवरात्र की शुभ तिथियों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु दिनांक 17.10.2020 से 25.10.2020 तक महिलाओं एवं बालिकाओं की सहभागिता, सम्मान एवं आत्म सुरक्षा तथा पोक्सो एक्ट एवं महिला अपराध सम्बन्धी कानूनों का वृहद् प्रचार-प्रसार के लिये एक विशेष अभियान संचालित किए जाने के निदेश प्राप्त हुए हैं तथा तदुपरान्त व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान हेतु संचालित अभियान को शारदीय नवरात्र एवं बासन्तिक नवरात्र के मध्य निरन्तर जारी रखने के निदेश प्राप्त हुये हैं।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-युथोक्त।

भवदीया,


(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 5120 (1) / सत्तर-3-2020, तददिनांक:

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ०प्र० लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
4. श्री राजेश चतुर्वेदी, अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद को इस निर्देश के साथ कि कृपया श्री राजीव पाण्डेय, संयुक्त निदेशक तथा श्री अंशुमाली शर्मा, विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक से सम्पर्क करके प्रतिदिन की गतिविधियों के संबंध में प्रेस विज्ञापित का प्रारूप तैयार करके उपलब्ध करायें।
5. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
6. श्री अभिषेक सिंह, सूचना अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पत्रांक सं० 1302 / सा०प्र० / 2020

दिनांक 17/10/2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त-संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी गोरखपुर।
3. सम्बद्धता अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना से समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्रबन्धक को अवगत करायें।
4. प्रभारी, कुलपति कार्यालय, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
5. प्रभारी, कुलसचिव कार्यालय।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

3
कुलसचिव
100-11/10/20

उच्च शिक्षा विभाग
मिशन शक्ति कार्यक्रम

1- शारदीय नवरात्र दिनांक 17-25 अक्टूबर हेतु कार्यक्रम

दिनांक 17.10.2020- अपराह्न 3 से 5 बजे

उच्च शिक्षा विभाग से मिशन शक्ति का मेगा लान्च

- हर विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के साथ वेबिनार आयोजित करके मिशन शक्ति उद्देश्यों एवं रूपरेखा की जानकारी उन्हें दी जायेगी। विशेष अभियान के माध्यम से छात्रों व अध्यापकों के लिये जागरूकता कार्यक्रम एवं बाल मनोविज्ञान के संबंध में समझ विकसित किये जाने से संबंधित विषयों पर चर्चा की जायेगी।
- विषय विशेषज्ञों के सहयोग से शिक्षकों का अभिमुखीकरण किया जायेगा। विधि विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों एवं पुलिस अधिकारियों के सहयोग से साइबर सुरक्षा, लैंगिक हिंसा, घरेलू हिंसा, पाकिस्तान एक्ट, महिला हेल्पलाइन 1090, 108, 102, 112, 181, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या संबंधी एवं अन्य प्रचलित कानूनों के संबंध में जानकारी दी जायेगी।
- अभियान के दौरान NSS एवं NCC का सहयोग किस प्रकार लिया जाये, इसकी रूपरेखा भी तैयार की जायेगी।
- इस सत्र में सभी प्राध्यापकों जोकि अभिभावक भी हैं, द्वारा 'बालिका सुरक्षा शपथ' ली जायेगी, जिसका प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक-1)
- साथ ही महाविद्यालयों के शिक्षकों को बताया जायेगा कि वर्ष के दौरान किस प्रकार उन्हें अपनी छात्राओं के साथ परामर्श सत्रों (Counselling sessions) का आयोजन करना चाहिये।

दिनांक 18 एवं 24 अक्टूबर 2020

- हर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा अपने छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों के साथ उक्त तर्ज पर ही एक घण्टे के वेबिनार आयोजित किये जायेंगे।
- इनमें महिला सुरक्षा एवं महिला सम्मान के प्राविधानों के विषय में जानकारी दी जायेगी।
- छात्रों को बालिका सुरक्षा शपथ दिलाई जायेगी कि वे महिलाओं एवं बालिकाओं का सम्मान करेंगे और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। शपथ संलग्नक-2 पर है।

- इसी प्रकार अभिभावकों को भी संलग्नक-1 के अनुसार शपथ दिलाई जायेगी कि वे बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करेंगे।

दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2020

- हर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रति दिन प्रातः 10 से 10.30 तक बालिकाओं के स्वास्थ्यवर्द्धन एवं पोषण के प्रति जागरूकता, विशेष रूप से कोविड-19 के दृष्टिगत इम्यून सिस्टम वर्द्धन हेतु सजग एवं जागरूक करने हेतु वेबिनार, व्याख्यानमालाओं एवं निबन्ध/स्लोगन/पोस्टर आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे।
- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रत्येक दिन सायं 5 से 6 तक छात्राओं को आपातकाल में आत्मसुरक्षा हेतु प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शारीरिक शिक्षकों/राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी/रोवर रेंजर्स प्रभारी/एन0सी0सी0 प्रभारी का सहयोग लिया जायेगा।
- दिनांक 16 एवं 17 अक्टूबर को मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ द्वारा जूम/यू-ट्यूब के माध्यम से दिया जायेगा। प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों द्वारा दिनांक 19-23 अक्टूबर के मध्य 10 लाख से अधिक छात्राओं को आत्मसुरक्षा हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जायेगा।

दिनांक 24 एवं 25 अक्टूबर, 2020

NCC एवं NSS के स्वयंसेवकों द्वारा महिला सुरक्षा एवं सम्मान से संबंधित प्राविधानों एवं योजनाओं के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे और बालकों को एवं अभिभावकों को 'बालिका सुरक्षा शपथ' दिलाई जायेगी। NSS, भारत स्काउट एवं गाइड, NCC, युवामण्डल दल, स्कूल व कालेज की छात्र/छात्राओं की प्रतिभागिता एवं उन्हें साइबर सुरक्षा एवं लैंगिक हिंसा की रोकथाम के प्रति जागरूक किया जायेगा।

दिनांक 17-25 अक्टूबर, 2020 के मध्य संचालित मिशन शक्ति की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रतिदिन उपलब्ध करायी जानी है। निदेशक, उच्च शिक्षा इसके प्रारूप विकसित करके सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को 15 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेगे। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा अपलोड ई कन्टेन्ट के प्रारम्भ में 'मिशन शक्ति' के लोगो को प्रदर्शित किया जायेगा एवं बालिका सुरक्षा शपथ भी प्रदर्शित की जायेगी।

2- महिला सुरक्षा एवं सम्मान हेतु अनवरत अभियान का कार्यक्रम

अभियान को और व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान हेतु संचालित अभियान को शारदीय नवरात्र एवं वासन्तिक नवरात्र के मध्य निरन्तर जारी रखने एवं बीच-बीच में विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं, ताकि अधिकांश जनमानस को जागरूक किया जा सके। इस अभियान को इस रूप में गतिमान रखा जाना है जिससे शासन/प्रशासन के सामान्य कार्यकलाप प्रभावित न हों।

इस अवधि में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय हर सोमवार को 'बालिका सुरक्षा शपथ' दिलाना सुनिश्चित करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वास्थ्य/पोषण हेतु प्रचलित विधिक प्राविधानों एवं सरकारी योजनाओं पर चर्चा हेतु आधे घण्टे का सत्र आयोजित करेंगे।

परामर्श सत्रों (Counselling sessions)

प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में छात्राओं को निरन्तर परामर्श प्रदान करने हेतु व्यवस्था बनाई जायेगी। इस हेतु महिला प्राध्यापकों को नामित किया जायेगा, जो सप्ताह के निर्धारित एक दिन उनकी समस्याओं को सुनकर उनसे बातचीत करेंगी। इस हेतु यूनीसेफ, NSS काउंसलर्स के साथ-साथ जनपदों में तैनात socio-psycho counselors एवं मैनोचिकित्सकों का सहयोग लिया जा सकता है।

अभियान की प्रगति की समीक्षा हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा प्रारूप विकसित करके 20 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेगे। इस अवधि की साप्ताहिक समीक्षा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा तथा मासिक समीक्षा निदेशालय स्तर पर की जायेगी और समीक्षा आख्या निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय शासन को हर माह की 1 एवं 16 तारीख को प्रेषित की जायेगी। शासन (अनुभाग-3) द्वारा मासिक प्रगति आख्या मुख्य सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, मा0 उप मुख्यमंत्री जी एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ हर माह की 3 तारीख तक प्रेषित की जायेगी।

सामान्य निर्देश

1. मिशन शक्ति के पूरे अभियान हेतु निदेशालय स्तर पर डॉ० राजीव पाण्डेय, संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं शासन स्तर पर डॉ० अंशुमालि शर्मा, विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले जनपदों में नोडल अधिकारी नामित करेंगे तथा उक्त कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करेंगे।

3. जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के साथ भी समन्वय स्थापित करते हुये कार्यक्रमों को सफल बनाना सुनिश्चित करेंगे।
4. मिशन शक्ति के अन्तर्गत समाज में जागरूकता लाने महिला सुरक्षा एवं सम्मान हेतु संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रसार-प्रचार हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा कार्ययोजना तैयार करके उसका क्रियान्वयन कराया जायेगा।
5. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय अपनी गतिविधियों की प्रेस विज्ञप्ति स्थानीय तथा प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायेंगे। व्हाट्सअप, ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया हेन्डल पर अभियान का प्रचार प्रसार किया जायेगा। अच्छी सक्सेज स्टोरीज एवं आर्टिकिल्स का प्रकाशन किया जायेगा।
6. कार्यक्रम से सम्बन्धित डाक्यूमेंटेशन, आडियो, वीडियो, क्लिपिंग, पोस्टर, फोटोग्राफ एवं आख्या को क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी संकलित कर निदेशालय की ई-मेल dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध करायेंगे।

बालिका सुरक्षा शपथ

अभिभावकों द्वारा

भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में
मैं शपथ लेती/लेता हूँ
कि मैं अपने बेटे और बेटी में
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगी/करूँगा।
मैं अपने बच्चों को बचपन से ही
जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊँगी/सिखाऊँगा।
और उन्हें सही और गलत का भेद
बताऊँगी/बताऊँगा
जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को
स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को
कहती/कहता हूँ
उसी प्रकार अपने बेटे को
अनुशासन में रखते हुए
उसकी भी दैनिक गतिविधियों का
पूरा ध्यान रखूँगी/रखूँगा।
जयहिन्द

बालिका सुरक्षा शपथ

छात्रों द्वारा

भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में

मैं शपथ लेता हूँ कि

सदैव बालिकाओं व महिलाओं का सम्मान करूँगा

और उनके अधिकारों की सुरक्षा करूँगा।

मैं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से

अपने कृत्यों,

शब्दों

तथा कर्मों से

किसी बालिका एवं महिला के अधिकारों एवं मर्यादा

का हनन नहीं होने दूँगा।

मैं शपथ लेता हूँ कि

मैं बालिकाओं एवं महिलाओं को

उनके विकास के लिए

समान अवसर प्रदान करने में

अपना पूरा योगदान दूँगा।

जयहिन्द